न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 22/2020 (2020/00062)

अपीलार्थीगण

1. किसनाराम पुत्र अणदाराम
2. भंवरलाल पुत्र अणदाराम
   जातियान कुम्हार, निवासीगण – भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. हरीराम पुत्र रताराम, जाति जाट, निवासी – भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार तहसील जोधपुर।
3. पटवारी हल्का भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 29.05.2020 क्रमांक भू0अ0/2020/1982 जो तहसीलदार (भू0अ0) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

————

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थीपक्ष)
2. अभिभाषक श्री शंकरसिंह जाखड़ (प्रत्यर्थी संख्या 01)

–: आदेष :– दिनांक :– 22.02.2021

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश क्रमांक भू0अ0/2020/1982 जो तहसीलदार (भू0अ0) जोधपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 ने प्रत्यर्थी संख्या 02 के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र बाबत कदिमी रास्ता तुरन्त प्रभाव से खुलवाने बाबत् पेश किया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण को सनुवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित कर दिया, से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री शंकरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 16.02.2021 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र बाबत् कदिमी रास्ता तुरन्त प्रभाव से खुलवाने बाबत् का पेश कर कथन किया गया कि उसे अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 559 ग्राम भटिण्डा में जाने के लिये रास्ता खसरा नं0 554 व 556 की माठ–माठ होते हुए चलता है जिसको अपीलार्थी ने बन्द कर दिया है। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 08.06.2020 को आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि पक्षकार द्वारा कदिमी रास्ता खुलवाने हेतु सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में पेश किया जाता है। ग्राम पंचायत अगर 45 दिन में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती है तो उसके बाद प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार का होता है जबकि इस प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा सीधा प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार ने पंचायत को न भेजकर सीधा ही उस पर पटवारी हल्का को कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जबकि तहसीलदार को इस प्रकार सीधी कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 के तहत किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता निकालने का प्रावधान नहीं है तथा जिस व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाला जाना है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थीगण को न तो सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री शंकरसिंह जाखड़ ने अपनी मौखिक बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश विधिवत् पारित किया गया है। खसरा नं0 554 व 556 की माठ–माठ चलने वाले उक्त कदिमी रास्ते का उपयोग प्रत्यर्थी व उसके पूर्वजो द्वारा के कई वर्षों से किया जा रहा था तथा प्रत्यर्थी के खेत में जाने का यही एकमात्र रास्ता ही है लेकिन उक्त खेतों के खातेदारों ने रास्ते पर जेसीबी से खाई खुदवा दी तथा रास्ता बन्द कर अतिक्रमण किया जो विधि विरूद्ध होने से प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र बाबत् कदिमी रास्ता तुरन्त प्रभाव से खुलवाने बाबत् पेश किया जिसे पर तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया कि प्रार्थना–पत्र की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। तहसीलदार के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश नहीं किया गया। अतः उक्त अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है यह

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:56 IST
Reason: SelfAttested

तथ्य निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र बाबत् कदिमी रास्ता तुरन्त प्रभाव से खुलवाने बाबत् पेश किया गया जिस पर तहसीलदार (भू0अ0) द्वारा पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया कि जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी के तहत पेश नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थीपक्ष का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और बिना सुने उक्त प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया अगर अपीलार्थीपक्ष को उदर–एतराज है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करे।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:56 IST
Reason: SelfAttested